

गत तीन वर्षों में कोयले के उत्पादन की मात्रा

74. श्री बाबू लाल सोलंका :

श्री इशाहीम सुलेमान सेट :

श्री टी० आर० शमन्ना :

क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कोयले के उत्पादन की मात्रा कितनी है और गत 6 महीनों में कोयले का मासिक उत्पादन (चालू महीने सहित) कितना हुआ है ;

(ख) तापीय बिजली घरों को कोयला मरम्मत करने और बिजली घरों तथा कोयले पर आधारीत उद्योगों के पास कोयले का पर्याप्त भण्डार सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या कोयला मंत्रालय ने कोयले की शीघ्र आवाजाही के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से कोई सामन्वय समिति बनाई है ; और

(घ) यदि हा, तो समिति के सदस्यों का नाम क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले के उत्पादन की मात्रा नीचे दी गई है -

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टनों में)
------	------------------------------

1976-77	101.04
1977-78	101.00
1978-79	101.94

चालू वर्ष के पिछले छह महीनों में कोयले का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

महीना	उत्पादन (लाख टनों में) अनुसूचित
-------	---------------------------------------

सितम्बर, 1979	78.97
अक्टूबर, 1979	78.72
नवम्बर, 1979	86.87
दिसम्बर, 1979	94.75
जनवरी, 1980	99.34
फरवरी, 1980	100.69

(ख) ताप बिजली घरों की कोयले की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें संयोजित कोयले की मात्रा बढ़ा दी गई है। रेलवे कोयले की सुलाई के लिए बैंगन अधिक संख्या में देने के लिए सहमत हो गई है ताकि बिजलीघरों में कोयले के स्टॉक बनाए जा सकें। रेलवे यह प्रयास भी कर रही है कि अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी कोयला बैगनों की संख्या बढ़ाई जाए।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायलयों में लम्बित मामले

75. श्री बाबू लाल सोलंका :

श्री जी० बाई० कृष्णन :

श्री टी० आर० शमन्ना :

श्री के० प्रधानी :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में कितने मुकदमों में लम्बित है ;

(ख) इससे प्रत्येक न्यायालय में क्रमशः कितने मुकदमे 5 तथा 10 वर्षों से अधिक समय से लम्बित हैं ; और

(ग) इनकी अधिक संख्या में इन मुकदमों के लम्बित रहने के मुख्य कारण क्या हैं और इन मुकदमों के निपटान में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिबाराकर) : (क) और (ख). एक विवरण मलगन है जिसमें वह जानकारी दी गई है जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने भेजी है।

(ग) अनेक जटिल बातों के कारण न्यायालयों में मामले इकट्ठे हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि न्याय प्रशासन का कार्य निरन्तर चलता रहे। तदनुसार, सरकार इस समस्या के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का विचार रखती है। ऐसा करने में सरकार विधि आयोग की सिफारिशों का ध्यान रखेगी।

## विवरण

31-12-1979 को उच्चतम न्यायालय में और 30-6-1979 को उच्च न्यायालयों में लम्बित मामले और ऐसे मामले जो इन न्यायालयों में क्रमशः 5 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं :

	नियमित सुनवाई वाले मामले जो 31-12-1979 को लम्बित थे	नियमित सुनवाई वाले मामले जो निम्नलिखित से अधिक समय से लम्बित हैं	
		5 वर्ष	10 वर्ष
भारत का उच्चतम न्यायालय	16077	4675	182
उच्च न्यायालय का नाम	30-6-1979 को निम्नलिखित से अधिक समय से लम्बित मामले जो स्थिति थी, उसके अनुसार लम्बित मामलों की संख्या	5 वर्ष	10 वर्ष
इलाहाबाद	124540	28319	2662
भानुप्र प्रदेश	22637	8	1
मुम्बई	58090	11826	1266
कलकत्ता	74471	17827*	6935*
दिल्ली	30329	7570	835
शोहादी	6929	1192	43
गुजरात	14857	107	9
हिमाचल प्रदेश	5765	806	19
जम्मू-कश्मीर	6577	251	19
कर्नाटक	49408	2133*	1*
केरल	33809	69	..
मध्य प्रदेश	40785	6018*	545*
मद्रास	55268	675	23
उड़ीसा	8423	623	6
पटना	35513	6260*	1199*
पंजाब और हरियाणा	38413	10798	1976
राजस्थान	23957	5123*	438*
सिक्किम	11	..	..
योग	629722	99595	15977

\* टिप्पण : कलकत्ता, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पटना और राजस्थान उच्च न्यायालयों की बाबत 5 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामलों के आंकड़े केवल मुख्य मामलों के हैं।